

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—00—

क्रमांक **GENCOR-3504/22/2025**

नवा रायपुर, दिनांक /07/2026

प्रति,

1. कार्यक्रम समन्वयकसमस्त रासेयो युक्त विश्वविद्यालय
(उच्च शिक्षा विभाग)
छत्तीसगढ़**2. जिला संगठक,**रासेयो, (समस्त जिला)
छत्तीसगढ़

विषय :- राष्ट्रीय सेवा योजना Volunteers द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग प्रदान किये जाने संबंधी राज्य स्तरीय कार्ययोजना प्रस्ताव ।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित लेख है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक सेवा गतिविधियों का संचालन करना ही नहीं बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना भी है । यदि **Volunteers** की उर्जा, ज्ञान एवं सेवा भावना का उपयोग विद्यालयीन शिक्षा में अतिरिक्त सहयोग के रूप में किया जाए तो यह विद्यार्थियों के साथ-साथ **Volunteers** के बौद्धिक विकास में अत्यंत प्रभावी पहल सिद्ध हो सकता है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व का विकास सामुदायिक सेवा के माध्यम से करना है । भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, छात्र-केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों के मध्य सहभागिता आधारित शिक्षण व्यवस्था पर बल दिया गया है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना **Volunteers** द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग प्रदान किये जाने संबंधी राज्य स्तरीय कार्ययोजना प्रस्तावित है । कार्ययोजना के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश पत्र के साथ संलग्न है । उक्त कार्य योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग तथा संबंधित स्कूल प्रशासन के समन्वय से संपादित होना है । उपरोक्त के संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग से भी अपेक्षित सहयोग हेतु निवेदन किया गया है ।

अतः अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले रासेयो युक्त विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय का चिन्हांकन कर प्रस्तावित कार्य योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
(प्रशासकीय अनुमोदित)

Digitally signed by

FABIOLA BARA

Date: 29-07-2026

14:11:51

(श्रीमती फबिओला बड़ा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर, दिनांक /07/2026

पृ. क्रमांक **GENCOR-3504/22/2025**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के निज सचिव को सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. कुलसचिव, समस्त रासेयो युक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग *** राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रस्ताव

राष्ट्रीय सेवा योजना के **Volunteers** द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग प्रदान किए जाने संबंधी राज्य स्तरीय कार्ययोजना

1. प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, छात्र-केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों के मध्य सहभागिता आधारित शिक्षण व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता (Foundational Literacy and Numeracy), तार्किक चिंतन, जीवन कौशल तथा व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व का विकास सामुदायिक सेवा के माध्यम से करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य 'स्वयं से पहले आप' युवाओं को समाज के प्रति उत्तरदायित्व एवं सेवा भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 1,083 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयाँ संचालित हैं, जिनके माध्यम से हजारों **Volunteer** नियमित रूप से समाजोपयोगी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं। यदि इन **Volunteers** की ऊर्जा, ज्ञान एवं सेवा भावना का उपयोग विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो यह विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार लाने की दिशा में अत्यंत प्रभावी पहल सिद्ध हो सकती है।

राज्य के अनेक शासकीय एवं अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को भाषा, गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे विषयों में अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग की आवश्यकता अनुभव की जाती है। नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त यदि विद्यार्थियों को प्रशिक्षित NSS Volunteer द्वारा विषयगत मार्गदर्शन, पुनरावृत्ति, अभ्यास एवं गतिविधि आधारित शिक्षण उपलब्ध कराया जाए, तो उनके सीखने के स्तर (Learning Outcomes) में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग एवं विद्यालय शिक्षा विभाग के संयुक्त समन्वय से 'ज्ञानदीप – NSS शैक्षणिक सहयोग अभियान' प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत राज्य की प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अपने निकट स्थित एक माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध होकर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को नियमित शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेगी।

2. पृष्ठभूमि एवं औचित्य

राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना का उद्देश्य केवल सामाजिक सेवा गतिविधियों का संचालन करना ही नहीं, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बढ़ाना तथा विद्यालय एवं समाज के मध्य सहभागिता को सुदृढ़ करना राज्य शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों द्वारा नियमित शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है, तथापि अनेक विद्यार्थियों को विषयगत कठिनाइयों, अध्ययन में निरंतरता की कमी, परीक्षा की तैयारी, पठन-पाठन कौशल तथा गणितीय दक्षता विकसित करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के Volunteer उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत युवा हैं, जिनमें सामाजिक नेतृत्व, संवाद कौशल एवं सेवा भावना का विकास किया जाता है। इन Volunteers को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान कर यदि विद्यालयी विद्यार्थियों के साथ जोड़ा जाए तो वे विद्यालयों में पूरक शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से—

- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार होगा।
- भाषा एवं गणित की आधारभूत दक्षताओं में वृद्धि होगी।
- विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ होगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित होगा।
- NSS Volunteer में नेतृत्व, उत्तरदायित्व एवं शिक्षण कौशल का विकास होगा।
- समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों के मध्य सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा।

यह कार्यक्रम विद्यालय के नियमित शिक्षण का विकल्प नहीं होगा, बल्कि पूरक शैक्षणिक सहयोग (Supplementary Academic Support Programme) के रूप में संचालित किया जाएगा।

3. प्रस्तावित कार्यक्रम का नाम

‘ज्ञानदीप – NSS शैक्षणिक सहयोग अभियान’

प्रस्तावित संकल्प वाक्य :

‘युवा पढ़ाएँ – भविष्य बनाएँ’

4. दृष्टि (Vision)

राष्ट्रीय सेवा योजना की युवा शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं सहयोगात्मक शिक्षा पहुँचाना तथा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित करना।

5. मिशन (Mission)

राज्य की सभी 1,083 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों को निकटवर्ती माध्यमिक विद्यालयों से जोड़ते हुए कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को नियमित, गतिविधि-आधारित एवं परिणामोन्मुख शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना तथा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार लाना।

6. कार्यक्रम के उद्देश्य

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे—

- कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर (Learning Outcomes) में सुधार लाना।
- अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में विद्यार्थियों की आधारभूत दक्षताओं को सुदृढ़ करना।
- विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि, आत्मविश्वास एवं तार्किक चिंतन विकसित करना।
- विद्यालयों में गतिविधि आधारित एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय सेवा योजना के **Volunteers** में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व, संचार कौशल एवं शिक्षण दक्षता का विकास करना।
- उच्च शिक्षा विभाग एवं विद्यालय शिक्षा विभाग के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी, पुनरावृत्ति एवं विषयगत कठिनाइयों के समाधान हेतु अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना।

समाज, विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य सहयोगात्मक वातावरण विकसित करना।

7. कार्यक्रम का स्वरूप

प्रस्तावित 'ज्ञानदीप – NSS शैक्षणिक सहयोग अभियान' राज्य की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों एवं विद्यालय शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से संचालित एक शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में नियमित अध्यापन व्यवस्था का स्थान लेना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग (Supplementary Academic Support) उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अपने निकट स्थित एक शासकीय अथवा शासन द्वारा चयनित माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध होगी तथा वहाँ अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को विषयवार अध्ययन सहयोग, पुनरावृत्ति, अभ्यास, गतिविधि आधारित शिक्षण, व्यक्तित्व विकास एवं जीवन कौशल संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

कार्यक्रम पूर्णतः विद्यालय की समय-सारणी, प्रधानाचार्य की सहमति तथा स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से संचालित किया जाएगा।

8. कार्यक्षेत्र (Coverage)

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त 1,083 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों में लागू होगा।

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा—

- छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले।
- राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय।
- प्रत्येक NSS इकाई से संबद्ध निकटवर्ती माध्यमिक विद्यालय।
- कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं के विद्यार्थी।

9. लक्षित लाभार्थी

- प्रत्यक्ष लाभार्थी
- कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी।
- राष्ट्रीय सेवा योजना के Volunteer ।
- विद्यालयों के शिक्षक।
- अप्रत्यक्ष लाभार्थी
- अभिभावक
- स्थानीय समुदाय
- महाविद्यालय
- विद्यालय शिक्षा विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग

10. कार्यक्रम के प्रमुख घटक

कार्यक्रम निम्न प्रमुख घटकों पर आधारित होगा—

- (1) **विद्यालय चयन** — प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अपने निकट स्थित एक माध्यमिक विद्यालय का चयन करेगी।
- (2) **Volunteer चयन** — प्रत्येक इकाई से 10 से 20 सक्रिय एवं इच्छुक Volunteers का चयन किया जाएगा।
- (3) **प्रशिक्षण** — कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Volunteers को प्रभावी अध्यापन, बाल मनोविज्ञान, गतिविधि आधारित शिक्षण, संचार कौशल, नैतिक आचरण एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (4) **नियमित शैक्षणिक सहयोग** — **Volunteers** विद्यालय में निर्धारित समयानुसार विद्यार्थियों को अध्ययन सहयोग प्रदान करेंगे।

(5) अधिगम मूल्यांकन – विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

(6) डिजिटल मॉनिटरिंग – समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग CG NSS Dashboard के माध्यम से किया जाएगा।

11. कार्यान्वयन रणनीति

कार्यक्रम का संचालन चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

प्रथम चरण (20 जुलाई तक)

- शासन स्तर से दिशा-निर्देश जारी करना।
- विष्वविद्यालयवार लक्ष्य निर्धारण।
- स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करना।

द्वितीय चरण (25 जुलाई तक)

- विद्यालयों का चयन।
- नोडल शिक्षक की नियुक्ति।
- राष्ट्रीय सेवा योजना **Volunteer** का चयन।

तृतीय चरण (26 जुलाई से 31 जुलाई तक)

- चयनित Volunteers का प्रशिक्षण।
- विद्यालयवार एवं विषयवार समय-सारणी तैयार करना।
- अध्ययन एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।

चतुर्थ चरण (01 अगस्त से 28 फरवरी तक)

- नियमित शैक्षणिक सहयोग एवं अध्यापन।
- विद्यार्थियों को गृहकार्य (Homework) Check करना एवं उसकी नियमित समीक्षा।
- प्रत्येक माह मासिक परीक्षण (Monthly Test) आयोजित करना।
- प्रत्येक दो माह में अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) होती है या नहीं।
- मासिक मूल्यांकन करना। (15 से 25 अक्टूबर)
- मुख्य परीक्षा से 01 माह पूर्व कोर्स (syllabus) पूर्ण कराया जाना।
- CG NSS Dashboard के माध्यम से नियमित रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एवं प्रगति का सत्यापन सुनिश्चित करना।

पंचम चरण (01 मार्च से 15 मार्च तक)

- वार्षिक मूल्यांकन – विगत वर्ष से तुलना।
- उत्कृष्ट NSS इकाइयों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं **Volunteers** का चयन।
- राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन।
- समापन प्रतिवेदन तैयार करना एवं राज्य स्तरीय समीक्षा आयोजित करना।

नोट: चतुर्थ चरण के दौरान प्रत्येक माह मासिक परीक्षण, प्रत्येक दो माह में PTM, तथा CG NSS Dashboard पर नियमित ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग निरंतर संचालित होगी। यह व्यवस्था कार्यक्रम की गुणवत्ता, प्रगति एवं अधिगम परिणामों की सतत समीक्षा सुनिश्चित करेगी।

12. विभागवार उत्तरदायित्व

(क) उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग कार्यक्रम का नोडल विभाग होगा तथा निम्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा—

- कार्यक्रम की नीति एवं दिशा—निर्देश जारी करना।
- राज्य स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना।
- स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करना।
- कार्यक्रम की नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।
- आवश्यकतानुसार प्रशासनिक निर्णय लेना।

(ख) राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ

- कार्यक्रम का समग्र संचालन।
- SOP जारी करना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।
- विष्वविद्यालयों से समन्वय।
- CG NSS Dashboard की निगरानी।
- राज्य स्तरीय रिपोर्ट तैयार करना।

(ग) विश्वविद्यालय स्तर

विश्वविद्यालय रा.से.यो. कार्यक्रम समन्वयक—

- महाविद्यालयों को मार्गदर्शन देंगे।
- मासिक समीक्षा करेंगे।
- निरीक्षण करेंगे।
- प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(घ) महाविद्यालय/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य—

- कार्यक्रम का संस्थागत नेतृत्व करेंगे।
- आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
- रासेयो कार्यक्रम अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

13. रा.से.यो. कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका

कार्यक्रम अधिकारी इस योजना के प्रमुख क्रियान्वयन अधिकारी होंगे।

उनके प्रमुख दायित्व होंगे—

- माध्यामिक विद्यालय का चयन करना।
- विद्यालय से समन्वय स्थापित करना।
- **Volunteers** का चयन करना।
- प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- विषयवार समय—सारणी तैयार करना।

दिवस	विषय	अवधि	रिमार्क
सोमवार	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान	प्रत्येक विषय 1 घंटा	प्रत्येक Volunteers को उसी विषय के अध्यापन का दायित्व सौंपा जाएगा, जिसका अध्ययन वह वर्तमान में अपने महाविद्यालय/विष्वविद्यालय में कर रहा है।
बुधवार	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान	प्रत्येक विषय 1 घंटा	
शुक्रवार	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान	प्रत्येक विषय 1 घंटा	

नोट:— शासकीय अवकाश/किसी कारण से अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस में अध्यापन कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।

- **Volunteers** की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- गतिविधियों का निरीक्षण करना।
- **Volunteer** द्वारा *CG NSS Dashboard* पर अपलोड किए गये दैनिक प्रतिवेदन की समीक्षा करना।
- नोडल शिक्षक के साथ नियमित समन्वय बनाए रखना।
- विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों की समीक्षा करना।
- विष्वविद्यालय को नियमित प्रतिवेदन भेजना।

14. स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका

विद्यालय शिक्षा विभाग कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेगा।

विभाग के प्रमुख उत्तरदायित्व होंगे—

- प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी करना।
- प्रत्येक विद्यालय में नोडल शिक्षक नामित करना।
- विद्यालय स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम की समीक्षा में सहयोग करना।
- विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने में सहयोग देना।

15. प्रधानाचार्य की भूमिका—

- चयनित विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यक्रम के स्थानीय संरक्षक होंगे।
- नोडल शिक्षक नामित करेंगे।
- समय-सारणी स्वीकृत करेंगे।
- कक्ष उपलब्ध कराएंगे।
- **Volunteers** को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

16. नोडल शिक्षक की भूमिका

प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में नामित किया जाएगा।

नोडल शिक्षक—

- रा.से.यो. कार्यक्रम अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
- विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराएंगे।
- अध्यापन हेतु समय निर्धारित करेंगे।
- कक्षाओं की नियमितता सुनिश्चित करेंगे।
- **Volunteer** की उपस्थिति का सत्यापन करेंगे।
- आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।
- गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे।
- मासिक फीडबैक प्रदान करेंगे।
- प्रधानाचार्य को नियमित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

17. राष्ट्रीय सेवा योजना **Volunteers** की भूमिका

कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित **Volunteer**—

- निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित होंगे।
- विषयवार अध्ययन सहयोग प्रदान करेंगे।
- विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करेंगे।
- गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएंगे।

- अनुशासन एवं नैतिक आचरण का पालन करेंगे।
- प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
- विद्यार्थियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
- विद्यालय की गरिमा एवं नियमों का पूर्ण पालन करेंगे।
- दैनिक प्रतिवेदन *CG NSS Dashboard* पर अपलोड करना।

18. अध्यापन की कार्यप्रणाली

कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के **Volunteers** द्वारा विद्यालय की नियमित शिक्षण व्यवस्था के पूरक के रूप में शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। अध्यापन पूर्णतः गतिविधि आधारित (Activity Based Learning), सहभागितापूर्ण (Participatory Learning) एवं विद्यार्थी-केंद्रित (Learner Centric Approach) होगा।

Volunteers द्वारा विषयों की पुनरावृत्ति, कठिन अवधारणाओं की सरल व्याख्या, अभ्यास प्रश्न, समूह चर्चा, प्रश्नोत्तरी, कहानी आधारित शिक्षण, शिक्षण-सामग्री (Teaching Learning Material) का उपयोग तथा नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि **Volunteers** द्वारा संचालित कक्षाएँ विद्यालय के नियमित अध्यापन में बाधा उत्पन्न न करें, बल्कि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को सुदृढ़ करने में सहायक हों।

19. विषयवार शैक्षणिक सहयोग

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में आवश्यकता अनुसार अध्ययन सहयोग प्रदान किया जाएगा—

- अंग्रेजी
- गणित
- विज्ञान
- सामाजिक विज्ञान

विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार अन्य विषयों अथवा विशेष अध्ययन सत्र भी आयोजित किए जा सकेंगे।

20. Volunteers का प्रशिक्षण

कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित **Volunteers** का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे—

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का परिचय
- बाल मनोविज्ञान एवं किशोरावस्था की समझ
- प्रभावी अध्यापन कौशल
- गतिविधि आधारित शिक्षण
- अधिगम परिणाम आधारित शिक्षण (Outcome Based Teaching)
- कक्षा प्रबंधन
- संचार एवं प्रस्तुतीकरण कौशल
- नैतिक आचरण एवं बाल संरक्षण
- समावेशी शिक्षा
- डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली (CG NSS Dashboard)

प्रशिक्षण जिला या विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जा सकेगा।

21. समय-सारणी एवं कार्यान्वयन

प्रत्येक रासेयो इकाई विद्यालय की सहमति से साप्ताहिक समय-सारणी तैयार करेगी।

सामान्यतः—

- सप्ताह में 02 से 03 दिवस
- प्रतिदिन 01 से 02 घंटे

विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

22. डिजिटल मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग प्रणाली

CG NSS Dashboard आधारित अनुश्रवण — कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण (Monitoring), प्रतिवेदन, सत्यापन एवं विश्लेषण *CG NSS Dashboard* के माध्यम से किया जाएगा।

Dashboard:

<https://nss-activities-chhattisgarhdigital-com/login>

यह डैशबोर्ड कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का राज्य स्तरीय डिजिटल अभिलेख होगा।

22.1 उद्देश्य

CG NSS Dashboard के माध्यम से—

- रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी।
- प्रत्येक रासेयो इकाई की गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।
- राज्य, विश्वविद्यालय एवं जिला स्तर पर नियमित समीक्षा संभव होगी।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।
- डेटा आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी।

22.2 डैशबोर्ड पर दर्ज को जाने वाली जानकारी

प्रत्येक **Volunteer** / कार्यक्रम अधिकारी निम्नलिखित जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे—

- चयनित विद्यालय का विवरण
- नोडल शिक्षक का विवरण
- **Volunteers** की सूची
- कक्षा संचालन का विवरण
- विषयवार अध्यापन
- लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
- **Volunteers** की उपस्थिति
- विद्यार्थियों की उपस्थिति
- गतिविधियों के फोटोग्राफ
- नवाचार एवं विशेष उपलब्धियाँ
- मासिक प्रगति प्रतिवेदन

22.3 रिपोर्टिंग व्यवस्था

- प्रत्येक गतिविधि पूर्ण होने के 48 घंटे के भीतर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा *CG NSS Dashboard* पर प्रविष्टि की जाएगी।
- विश्वविद्यालय स्तर पर मासिक सत्यापन किया जाएगा।
- राज्य रासेयो प्रकोष्ठ द्वारा नियमित समीक्षा एवं विश्लेषण किया जाएगा।

22.4 डैशबोर्ड आधारित समीक्षा

CG NSS Dashboard के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी—

- सक्रिय रासेयो इकाइयों की संख्या
- विद्यालयवार गतिविधियाँ
- लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
- आयोजित कक्षाओं की संख्या
- विषयवार अध्ययन सहयोग
- जिला एवं विष्वविद्यालयवार प्रगति
- मासिक प्रदर्शन
- उत्कृष्ट **Volunteer** / कार्यक्रम अधिकारी / इकाइयों की पहचान

23. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring - Evaluation)

कार्यक्रम का अनुश्रवण बहु-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य स्तर – उच्च शिक्षा विभाग, राज्य रासेयो प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय स्तर – विष्वविद्यालय रासेयो कार्यक्रम समन्वयक

जिला स्तर – रासेयो जिला संगठक

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय स्तर – प्राचार्य, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी

विद्यालय स्तर – प्रधानाचार्य, नोडल शिक्षक

आवश्यकतानुसार संयुक्त निरीक्षण भी आयोजित किए जा सकेंगे।

24. प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators – KPIs)

कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर किया जाएगा—

- चयनित विद्यालयों की संख्या
- सक्रिय रासेयो इकाइयों की संख्या
- प्रशिक्षित **Volunteer** की संख्या
- लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
- आयोजित अध्ययन सत्रों की संख्या
- **Volunteers** की नियमित उपस्थिति
- विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति
- मासिक रिपोर्टिंग की समयबद्धता
- CG NSS Dashboard पर अद्यतन प्रविष्टियाँ
- विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार
- विद्यालय एवं अभिभावकों की संतुष्टि

25. प्रोत्साहन एवं सम्मान

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले—

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, कार्यक्रम अधिकारी, **Volunteer**, नोडल शिक्षक को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

26. अपेक्षित परिणाम

इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित हैं—

- राज्य के हजारों विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग प्राप्त होगा।
- भाषा एवं गणित सहित अन्य विषयों में अधिगम स्तर में सुधार होगा।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति एवं सीखने की रुचि में वृद्धि होगी।
- राष्ट्रीय सेवा योजना के **Volunteers** में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं शिक्षण कौशल का विकास होगा।
- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के मध्य दीर्घकालीन सहयोगात्मक संबंध विकसित होंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावी योगदान मिलेगा।

27. निष्कर्ष

राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य युवा शक्ति को समाज सेवा एवं राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। प्रस्तावित 'ज्ञानदीप – NSS शैक्षणिक सहयोग अभियान' के माध्यम से राज्य की 1,083 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों की सहभागिता से विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक प्रभावी, संगठित एवं परिणामोन्मुख व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ रासेयो **Volunteer** के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक सहभागिता को भी सुदृढ़ करेगा। साथ ही, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, समग्र शिक्षा अभियान तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अतः जनहित, विद्यार्थी हित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 'ज्ञानदीप – NSS शैक्षणिक सहयोग अभियान' को राज्य स्तर पर अनुमोदित कर आगामी शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध रूप में लागू किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

